



प्रेषक,

राज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
30 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति
खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

2-प्रबन्ध निदेशक,
30प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग(अधि0) लखनऊ दिनांक: 27 मार्च, 2026

विषय- गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिलुआताल, गोरखपुर में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-6165/नेडा-एसई-चिलुआताल गोरखपुर/फ्लोटिंग सो0 पा0 प्ला0/2025, दिनांक 19-02-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रशनगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

(1) जनपद गोरखपुर में चिलुआताल पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिये कोल इण्डिया लिमिटेड के पत्र दिनांक 06.12.2023 के द्वारा 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चिलुआताल के 80 एकड़ क्षेत्र का उपयोग कर स्थापित किये जाने के प्रस्ताव (30 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण यूपीनेडा के माध्यम से प्राप्त) का अनुमोदन निम्न निर्देश के साथ प्रदान किया गया:-

(i) 30प्र0 विद्युत नियामक आयोग में UPERC CRE Regulation 2024 एवं UPERC (Modalities of tariff Determination) Regulation, 2023 के प्राविधानों के दृष्टिगत आवश्यक विचलन प्राप्त करने हेतु संयुक्त याचिका 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (30प्र0 पा0का0लि0) द्वारा दाखिल की जायेगी। 30प्र0 विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त परियोजना के टैरिफ निर्धारण हेतु मैसर्स कोल इण्डिया लि0 द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ii) जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-2984/जि0भू0 व्यय0- 2025, दिनांक 18.08.2025 द्वारा चिलुआताल पर 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना हेतु चिन्हित की गयी कुल 80.73 एकड़ भूमि का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	ग्राम/चिन्हित स्थल का नाम	भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर (एकड़)	भूमि की श्रेणी	स्वामित्व
1	सोनबरसा व सिक्टौर तप्पा मराछी चन्दौर परगना हवेली तहसील-सदर	11.4181 हे0 (28.20 एकड़)	भूमिधरी भूमि (जलमग्न)	पर्यटन विभाग के स्वामित्व में है।
2	जंगल बेनी माधव-1	9.124 हे0 (22.53 एकड़)	जलमग्न भूमि	हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि0 गोरखपुर के स्वामित्व में है।
3	चिलुआताल, गोरखपुर स्थित गोरखनाथ चिकित्सालय भूमि	30 एकड़	भूमिधरी भूमि	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर बालापार, गोरखपुर के स्वामित्व में है।
कुल		80.73 एकड़		

पर्यटन अनुभाग-2 उपरो शासन के पत्र संख्या आई-1228990/41-2-2026-सीएन-1987370 दिनांक 05.02.2026 के द्वारा चिलुआताल गोरखपुर में 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग की 11.4181 हे0 भूमि निःशुल्क उपयोग किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, गोरखपुर एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें कोल इण्डिया लिमिटेड, एन0टी0पी0सी0, आई0ओ0सी0एल0, एफ0सी0आई0एल0 एवं एच0एफ0सी0एल0 पार्टनर है। कोल इण्डिया लि0 द्वारा संयुक्त उपक्रम में पार्टनर होने के कारण हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, गोरखपुर के स्वामित्व की भूमि आपसी सहमति से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्वामित्व की भूमि निजी भूमि है। अतः कोल इण्डिया लि० द्वारा उक्त निजी भूमि को आपसी सहमति से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(iii) जनपद गोरखपुर स्थित चिलुआताल पर 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना ताल की सतह पर की जायेगी।

(iv) गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित 20 मेगावाट क्षमता फ्लोटिंग सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना लोकहित में होगी तथा स्थापित की जा रही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से प्रति वर्ष में उत्पादित 38.56 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा ग्रिड में फीड की जायेगी, जो कि गोरखपुर शहर में ऊर्जा की मांग की पूर्ति तथा गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायक होगी।

(v) गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिलुआताल, गोरखपुर में 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों में यदि भविष्य में किसी परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए मा० मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

(vi) कोल इण्डिया लि० द्वारा चिलुआताल पर 20 मेगावाट क्षमता फ्लोटिंग सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना से ताल की भूमि की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा भूमि की प्रकृति सुरक्षित रहेगी एवं पर्यटन विकास की गतिविधियों में कोई व्यवधान नहीं होगा। कोल इण्डिया लिमिटेड को पर्यटन एवं मत्स्य विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा ताकि उनकी किसी भी गतिविधि को कोई नुकसान न पहुंचे।

(vii) चिलुआताल गोरखपुर पर 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा चिन्हांकित की गयी भूमि पर प्रस्तावित 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्थापना कोल इण्डिया लि० के स्वयं के पूर्ण व्यय पर की जायेगी।

(viii) चिलुआताल गोरखपुर पर 20 मेगावाट क्षमता की प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग के स्वामित्व की 11.4181 हे० (28.20 एकड़) भूमि उपयोग किये जाने हेतु पर्यटन विभाग की निःशुल्क अनापत्ति के अनुसार कोल इण्डिया लि० को आवंटित की जायेगी।

(ix) सौर ऊर्जा नीति-2022 में उपलब्ध प्रोत्साहन व्यवस्थानुसार गोरखपुर (पूर्वांचल) में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्थापित परियोजना 20 मेगावाट क्षमता से विद्युत निकासी हेतु निर्मित की गयी पारेषण लाईन अधिकतम 15 किलोमीटर पर व्यय की प्रतिपूर्ति सौर परियोजना की सी.ओ.डी. प्राप्त करने के उपरान्त परियोजना विकासकर्ता (कोल इण्डिया लिमिटेड) को की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) 20 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड को नामित किये जाने का अनुमोदन।

(3) 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर पावर परियोजना से उत्पादित ऊर्जा को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय किये जाने का अनुमोदन।

3- कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राज कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० ।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
8. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राज कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।